>

Title: Need to accord the status of Scheduled Tribes to the Chamarmangta and Dhani castes of Balrampur in Shravasti Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): अधिष्ठाता महोदय, शून्यकाल के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को उठाने का आपने अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान संविधान की उस धारा की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसके तहत दलित, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज की संरचना में भागीदारी करने के लिए विशेष तौर पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। माननीय राजीव गांधी जी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आरक्षण को लागू करके महिलाओं, दलित, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को समतामूलक समाज की संरचना के लिए भारत निर्माण की योजना के तहत लाने का एक प्रावधान रखा था।

परन्तु आपके माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये जनपदों में घुमंतु, खानाबदोश, भूमिहीन, गृहविहीन उन जनजातियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जैसे शिकारी, चिड़ीमार, बंजारा, चमरमंगता और दान्दी जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित नहीं किया जा सका है। प्रदेश सरकारों की अवहेलना के तहत उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। यह अति महत्व का विषय है। उन जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करके उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाये जिससे पूरे हिन्दुस्तान में समतामूलक समाज की संरचना की जा सके।